संख्या-80/2017/1406/छप्पन-2017-153/2000

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 10 अक्टूबर, 2017

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ईपी वी0टी0-यू0पी0ओ0 हेतु एक **Servo Assy.(Cylinder Assy.) Part No.-212-076-**00**5-111** को क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 559/ना0उ0नि0/बी-2/2017(पी), दिनांक 12 सितम्बर, 2017 मे किए गए प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ईपी वी0टी0-यू0पी0ओ0 हेतु एक **Servo Assy.(Cylinder Assy.) Part No.-212-076-**00**5-111** को निर्माता फर्म मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर एशिया प्रा0लि0 सिंगापुर से प्राप्त कोटेशन के आधार पर 104092.00 यू0एस0 डालर की लागत पर, जो तत्समय की विनिमय दर रूपये 68/- प्रति यू0एस0 डालर के हिसाब से बैंक चार्जेज सहित भारतीय मुद्रा में रूपये 70,78,256/- (रूपये सत्तर लाख अठहत्तर हजार दो सौ छप्पन मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 ईपी वी0टी0-यू0पी0ओ0 हेतु इंगित पार्ट संख्या-**212-076-**00**5-111** को क्रय करने हेतु रूपये 70,78,256/- (रूपये सत्तर लाख अठहत्तर हजार दो सौ छप्पन मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त हेलीकॉप्टर के प्रश्नगत नये पार्ट संख्या-212-076-**00**5-111 का क्रय वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण के फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

5- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-80/2017/1406(1)/छप्पन-2017-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-20
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।